



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद की बैठक दिनांक 01.03.2019 का कार्यवृत्त

समय: 02:00 बजे

उपस्थिति

स्थान: माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

1. प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. श्री संजय सरावगी	-	सदस्य
3. श्री लक्ष्मेश्वर राय	-	सदस्य
4. डॉ० विनोद कुमार चौधरी	-	सदस्य
5. डॉ० फैयाज अहमद	-	सदस्य
6. डॉ० अमर कुमार	-	सदस्य
7. डॉ० डी० एन० पासवान	-	सदस्य
8. डॉ० इस्मत जहाँ	-	सदस्य
9. डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह	-	सदस्य
10. डॉ० अनील कुमार मंडल	-	सदस्य
11. डॉ० इन्द्र कुमार राय	-	सदस्य
12. प्रो० प्रीती झा	-	सदस्य
13. डॉ० मो० रहमतुल्लाह	-	सदस्य
14. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
15. डॉ० अजीत कुमार चौधरी	-	सदस्य
16. मो० ए० हक	-	विशेष आमंत्रित सदस्य
17. श्री विनोद कुमार	-	विशेष आमंत्रित सदस्य
18. कर्नल निशीथ कुमार राय, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक के शुरूआत में सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी माननीय सदस्यगणों को विश्वविद्यालय के पूरे भारत में 104 रैकिंग आने हेतु सभी को बधाई दी। साथ ही माननीय कुलपति महोदय को Member in INFLIBNET के Board of Governors में सदस्य के रूप में नियुक्त हेतु तथा 27th HRD में Best Professor in Human Resource Management का पुरस्कार दिये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामना दी।

इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की शुरूआत हुई। बैठक के शुरूआत में माननीय विधायक श्री संजय सरावगी ने स्कूल गुरु से संबंधित गठित त्रिसदस्यीय समिती द्वारा जाँच प्रतिवेदन सदन में समर्पित किया तथा प्रतिवेदन का निष्कर्ष तथा किये गये अनुशंसाओं से सदन को अवगत कराया, तथा सहमति बनी कि इस प्रतिवेदन पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकनोपरान्त अगले बैठक में चर्चा किया जायेगा। प्रतिवेदन की छायाप्रति सभी माननीय सदस्यों को प्रदान कर दी गई। डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों को नये साल की बधाई दी, साथ ही नये अभिषद सदस्यों का स्वागत किया। डॉ० बैद्यनाथ चौधरी तथा श्री विनोद कुमार चौधरी ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री तथा भारतीय सेना द्वारा किये गये वीरतापूर्ण कार्य हेतु बधाई दी, साथ ही 40 शहीद

सेनाओं तथा उनके परिवार के प्रति अभिषद् तथा विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि दी तथा संवेदना प्रकट की। डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि बैठक में निर्णय तो ले लिया जाता है, पर लागू नहीं कर पाते हैं, जो कि एक हास्यास्पद प्रश्न है। डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के आने के बाद चारों ओर विश्वविद्यालय तथा उनकी प्रशंसा हो रही है। पर, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोकल सिन्डिकेट क्या है? इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि लोकल सिन्डिकेट में दरभंगा में मौजूद माननीय सदस्यों को विशेष मुद्दों पर वृहद चर्चा करने के लिये अल्प सूचना पर बुलाया जाता है, न कि निर्णय लेने के लिये। इससे अभिषद् की बैठक में समय कम—से—कम लगेगा। निर्णय तो अभिषद् की बैठक में ही होता है।

मद सं० 1.

निर्णयः

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 12.12.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 12.12.2018 के कार्यवृत्त को संपुष्टि किया गया।

मद सं० 2

निर्णयः

अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन पर विचार।

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 12.12.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन पर विचार करने के क्रम में माननीय श्री संजय सरावगी के द्वारा लगातार कई बैठकों में उनके द्वारा अभियंत्रण शाखा द्वारा किये गये कार्यों का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में नहीं दिये जाने संबंधी तथा पुस्तकालय ऑटोमेशन से संबंधित प्रश्न पर अभी तक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर खेद व्यक्त किया तथा अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द जाँच करवा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। पुस्तकालय ऑटोमेशन में गठित समिति के बाह्य सदस्यों को माननीय विधायक महोदय के Objections से भी अवगत करा दिया जाय।

सी०एम० कॉलेज, दरभंगा में अमृत योजना से संबंधित पिछले बैठकों में निर्णय होने के बाद भी अभी तक NOC नहीं दिये जाने पर इसे गम्भीरतापूर्वक लेते हुए शीघ्रताशीघ्र कालेज से forwarding के बाद NOC दिये जाने पर सहमति बनी। इस पर कुलसचिव महोदय ने अमृत योजना का लाभ विश्वविद्यालय को भी देने हेतु आग्रह किया। माननीय विधायक श्री सरावगी जी ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के नाम से एक अनुरोध पत्र दिया जाय, उसके बाद वह भी इस हेतु प्रयास करेंगे।

डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह ने दिनांक 12.12.2018 को हुए अभिषद् की बैठक में पारित निर्णयों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन के मद सं० 01 में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सविदा पर नियुक्ति से संबंधित पारित प्रस्ताव के आलोक में अब तक क्या पहल किया गया, की जानकारी चाही। जिस पर कुलसचिव तथा अध्यक्ष महोदय ने कार्य से संबंधित प्रगति पर विस्तृत जानकारी सदन को दी। डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह के अनुकम्पा पर नियुक्ति में हो रहे प्रगति संबंधी प्रश्न पर कुलसचिव महोदय ने विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराया।

डॉ० बिनोद कुमार चौधरी ने सूचित किया कि पाल्य नियुक्ति में श्री राजा राम झा, जे.एन. कॉलेज, नेहरा से बार—बार कुछ—न—कुछ कागजात माँगा जाता है। जबकि इनके स्वर्गीय पिता के बकाये का भुगतान न्यायादेश के अंतर्गत हुआ है, इसलिए इनकी सेवा संपुष्ट मानी जा सकती है। डा० अजीत कुमार चौधरी ने सदन को सूचित किया कि श्री राजा राम झा के पिताजी का सर्विस कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिनके

भी कागजात पूरे होगे, उन्हीं लोगों की नियमानुकूल प्रक्रिया के तहत अनुकूल पर नियुक्ति हो सकेगी।

डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह ने सूचित किया कि माननीय सदस्य लक्ष्मेश्वर राय जी द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था, जो खाजेड़ीह कॉलेज से संबंधित है। इस मामले में एक त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। बैठक भी हुई। बैठक में देखा गया कि नियमानुसार पैसा जमा है, पैसा कालेज में जमा कराया गया, फिर बैंक में गया। आडिट रिपोर्ट को समाचार पत्र में आना चाहिए था जो नहीं आया। ये त्रुटि हुई तथा कानूनी प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गयी। इस पर निर्णय लिया गया कि समिति के जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार करने के बाद अग्रेतर कारवाई की जायेगी।

श्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि खाजेड़ीह कॉलेज में कर्मियों को मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कॉलेज अक्सर बंद रहता है। इस पर निर्णय लिया गया कि एक समिति बना कर इसकी जाँच करा ली जाय। उक्त समिति के लिये निमांकित सदस्यों के नाम पारित किये गये :

1. डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह;
2. डॉ० अमर कुमार ; एवं
3. डॉ० आई०के० राय।

श्री संजय सरावगी ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पैनल को देखने की इच्छा व्यक्त की। इसपर सभी बंद लिफाफों को सदन में खोल कर दिखाया गया। पुनः श्री सरावगी जी ने बहाल हुए नवनियुक्त अतिथि शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध जाँच (verification) कराने का आग्रह किया।

डॉ० बैद्यनाथ चौधरी तथा डा० बिनोद चौधरी ने चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति के संदर्भ में प्रश्न उठाया। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। डॉ० अमर कुमार ने कहा कि इसे अभिषद् संज्ञान में ले।

डॉ० अमर कुमार ने कहा कि चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को ACP/MACP नहीं दिया है जबकि उनके लिये पैसे आये हए हैं तो उसे एक बैठक कर फाइनल कर दिया जाय। इस प्रसंग में कुलसचिव महोदय ने सूचित किया कि PVC से वेतन बिन्दु सत्यापित होकर नहीं आया है। डा० कुमार ने कहा कि यहाँ से वेतन निर्धारित कर PVC को भेजने के बाद ही वह कुछ कर सकेगी। सदन को आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में नियमानुकूल कारवाई की जायेगी।

डा० बिनोद कुमार चौधरी ने प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति से संबंधित पिछले बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कहा कि एक प्रधानाचार्य ने नियम को दर्शाते हुए आवेदन दिया है कि जहाँ वे (प्रधानाचार्य) काम करते हैं वहाँ से प्रोन्नति की कारवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि प्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नति दी जा सकती है, न कि शिक्षक के रूप में।

डा० बिनोद कुमार चौधरी, डा० बैद्यनाथ चौधरी एवं श्री संजय सरावगी

Prahar
04/03/19

ने पिछली बैठक में श्री सरोज कुमार चौधरी एवं श्री इन्द्र कान्त झा के प्रोन्नति से संबंधित मामले में किये गये कारवाई से सदन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया। इस बिन्दु पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय प्रयासरत है और बहुत जल्द प्रोन्नति से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

9वें दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि श्रीमती गोदावरी दत्त और डॉ सी०पी० ठाकुर को दिए जाने की संस्तुति के बारे में सदस्यों को सूचित किया गया।

इसके साथ ही, अभिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए स्वीकार किया गया।

मद सं० 3.

निर्णयः

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2018 में की गयी अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार। सर्वसम्मति से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2018 में की गयी अनुशंसाओं को अभिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद सं० 4.

निर्णयः

वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 25.02.2019 में पारित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार। वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 25.02.2019 में पारित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह से संबंधित परिधान में संशोधन हेतु श्री संजय सरावगी, डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि राजभवन, पटना, बिहार से प्राप्त दीक्षांत समारोह आयोजन हेतु नियमावली का अक्षरशः पालन करना है। पुनः सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि विश्वविद्यालय स्तर से एक अनुरोध पत्र राजभवन को भेजा जाय और जन प्रतिनिधि की एक टीम महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर वार्ता करेंगे। दीक्षांत समारोह के अनुमानित बजट की कॉपी सभी माननीय सदस्यों को भेजें जाने पर सहमति बनी।

मद सं० 5.

निर्णयः

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 19.12.2018 के कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 19.12.2018 के कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

मद सं० 6.

निर्णयः

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859 / 96 दिनांक 21.02.2000 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच—प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859 / 96 दिनांक 21.02.2000 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच—प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।

मद सं० 7.

निर्णयः

अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 01.10.2018 एवं 17.12.2018 में पारित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार। अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 01.10.2018 एवं 17.12.2018 में पारित प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मद सं० 8

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 86वीं बैठक दिनांक 19.12.2018 को लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

*Prafull
01/03/19*

- निर्णय:** दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 86वीं बैठक दिनांक 19.12.2018 में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त को (प्रस्ताव संख्या 86.11 को छोड़कर) अनुमोदित किया। प्रस्ताव संख्या 86.11 पर माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी की आपत्ति को अंकित किया गया।
- मद सं0 9.** अतिरिक्त मद यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)।
- अतिरिक्त मद सं0 1.** विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 25.02.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय:** विचारोपरान्त, विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 25.02.2019 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 2.** बी0एड0 शिक्षकों के वेतन से संबंधित गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार।
- निर्णय:** बी0एड0 शिक्षकों के वेतन से संबंधित गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसे अगले बैठक में पुनः उपस्थापित किया जाय।
- अतिरिक्त मद सं0 3.** दिनांक 13.02.2019 को दर्शनशास्त्र एवं जन्तु विज्ञान विषय, दिनांक 18.02.2019 को हिन्दी एवं संस्कृत विषय और 25.02.2019 को भौतिकी विषय का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किये गये प्रोन्ति के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय:** विचारोपरान्त, दिनांक 13.02.2019 को दर्शनशास्त्र एवं जन्तु विज्ञान विषय, दिनांक 18.02.2019 को हिन्दी एवं संस्कृत विषय और 25.02.2019 को भौतिकी विषय का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किये गये प्रोन्ति को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 4.** Psychology, History, Geography, Botany, English, Philosophy and Maithili विषय में चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों के अधिसूचना की धटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय:** Psychology, History, Geography, Botany, English, Philosophy and Maithili विषय में चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों के अधिसूचना की धटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- अतिरिक्त मद सं0 5.** Zoology, Music, Commerce, Sociology, Sanskrit, Political Science, Urdu and A.I.H.& C. विषय में चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय:** सर्वसम्मति से दिनांक 13.10.2018 को आयोजित Zoology, Music, Commerce, Sociology, Sanskrit, Political Science, Urdu and A.I.H.&C. विषय में नियुक्त अतिथि शिक्षकों हेतु किये गये अनुसंशाओं को अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 6.** डा0 ए०पी०जे० अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 25.02.2019 में की गई अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय:** डा0 ए०पी०जे० अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 25.02.2019 में की गई अनुशंसाओं को अभिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 7.** श्री रामनाथ राम, निम्न वर्गीय लिपिक, सी०ए०म० कॉलेज, दरभंगा को प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त होने के कारण दिनांक 31.12.2018 से अगले तीन वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार—सह—असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।
- निर्णय:** श्री रामनाथ राम, निम्न वर्गीय लिपिक, सी०ए०म० कॉलेज, दरभंगा को प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त होने के कारण दिनांक 31.12.2018 से अगले तीन वर्षों के लिए ग्रहणाधिकार—सह—असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 8. To Consider the modification in the Departmental proceeding dated 22.03.2017 against Dr. Ashok Kumar Jha, Associate Professor, Deptt. of Chemistry, C.M. Sc. College, Darbhanga.

निर्णय: The modification in the Departmental proceeding dated 22.03.2017 against Dr. Ashok Kumar Jha, Associate Professor, Deptt. of Chemistry, C.M. Sc. College, Darbhanga was unanimously approved by the Syndicate.

अतिरिक्त मद सं0 9. अभिषद् की बैठक दिनांक 29.10.2018 के अ0म0स0 1 एवं दिनांक 01.12.2018 के अ0म0स0 1 के निर्णय के अनुपालनार्थ शिक्षकेत्तर कोटि में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग में संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक 14/एम 7-77/15 -1368 दिनांक 10.11.2018 के आलोक में राज्य सरकार में लागू नियमावली जो बिहार गजट, 18 सितम्बर, 2018 के आलोक में राज्य सरकार में लागू नियमावली जो बिहार गजट, 18 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित है, के आधार पर प्रस्तावित नियमावली के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : अभिषद् की बैठक दिनांक 29.10.2018 के अ0म0स0 1 एवं दिनांक 01.12.2018 के अ0म0स0 1 के निर्णय के अनुपालनार्थ शिक्षकेत्तर कोटि में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग में संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक 14/एम 7-77/15 -1368 दिनांक 10.11.2018 के आलोक में राज्य सरकार में लागू नियमावली जो बिहार गजट, 18 सितम्बर, 2018 के आलोक में राज्य सरकार में लागू नियमावली जो बिहार गजट, 18 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित है, के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये नियमावली प्रारूप के अनुमोदन के क्रम में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसे अभिषद् की आगामी बैठक में पुनः उपस्थापित किया जाय। रोस्टर का अक्षरशः पालन करते हुए अग्रेतर कारवाई की जाय।

अन्यान्य मद सं0 1 डॉ० अजीत कुमार चौधरी ने वैसे संबंद्ध महाविद्यालयों जिनका नैक से मूल्यांकन हो चुका है, में Post Graduate की पढाई शुरू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, जिस पर सहमति बनी कि सिर्फ वैसे संबंद्ध महाविद्यालय जिनका नैक मूल्यांकन हो चुका है और जिनको at least B ग्रेड प्राप्त हुआ हो, सिर्फ उन्हीं संबंद्ध महाविद्यालयों में P.G. की पढाई शुरू करने के दिशा में पहल किया जायेगा।

फिलहाल, डॉ० नागेन्द्र झा महिला महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और वो नैक मूल्यांकित महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में PG की पढाई शुरू करने हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।

अन्यान्य मद सं0 2 अभिषद् के सदस्यों ने मगध विश्वविद्यालय में चयनित प्रधानाचार्यों का मामला उठाया। इस पर चर्चा के दौरान यह सूचित किया गया कि डॉ० जय शंकर प्रसाद एवं डॉ० फूलो पासवान की सेवाएँ संपुष्ट नहीं हुई हैं। इस पर सदन की सहमति बनी की नियमतः इनकी सेवाएँ संपुष्ट कर इन्हें ग्रहणाधिकार (Lien) प्रदान कर दिया जाय। सदन को यह भी सूचित किया कि डॉ० गणेश महतो, गणित विभाग, जी.डी. महाविद्यालय, बेगूसराय द्वारा योगदान करने के अगले ही दिन बिना विरमित हुए मगध विश्वविद्यालय में योगदान दिये हैं। इस बिन्दु पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि इस प्रसंग में विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के अन्तर्गत इनके विरमण/ग्रहणाधिकार के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कारवाई करें।

अन्यान्य मद सं0 3 कुलसचिव महोदय ने विश्वविद्यालय को 'देरी से भुगतान के कारण दण्ड' से बचाने के लिये बिजली बिल हेतु 60 लाख रु० तथा टेलिफोन (दूरभाष) बिल हेतु 50,000/-रु० की राशि को अनुमोदित करने का आग्रह किया जिसे सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं0 4 आगामी अभिषद् की बैठक 30.03.2019 को आहूत करने पर सहमति बनी।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलानुसाशक ने सभी माननीय सदस्यों को अपना कीमती समय व सुझाव देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त, बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनुमोदित।

ह0/-
(कर्नल निशीथ कुमार राय)
कुलसचिव—सह—सचिव

ह0/-
(प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति—सह—अध्यक्ष


ज्ञापांक:— UP-492/19

प्रतिलिपि प्रेषित:—

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप—सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति—कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

दिनांक:— 1-3-2019


कुलसचिव


Pramod
04/03/19